Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अंगूरी वगै0 बनाम भीम सिह वगै0

अपील संख्या अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट अपील संख्या 39/25 GCMS NO 2025/68

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.26	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे लोक अदालत की भावना से उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने से पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने से प्रकरण को आगे नही चलाने का कथन किया। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उनवानी अपील मे अब स्थगन आदेश की कोई आवश्यता नही है। अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने मे रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही है। अतः बरूऐ राजीनामा अपील स्वीकार की [illegible]वे। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही उठाई गई। अतः अपील अपीलाट बरूऐ राजीनामा स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 112/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 7.3.25 को अपास्त किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Laxmi Kant Balot Date: 2026.04.16 15:27:34 IST Reason: SelfAttested	